

भीठासीन अधिकारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

अजयकुमार आर्य

आर.ए.एस.

राजस्व विधि : 297 / 2021

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय बी विंग, आहुरा सेन्टर, दूसरी मंजील, महाकाली केवज रोड, अन्धेरी ईस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री उत्तम कुमार सिंह पुत्र श्री वी.पी.सिंह (विद्या प्रसाद) जाति राजपूत हाल आबाद नवलगढ़ पदेन जनरल मैनेजर (लैंड व लाईजन)

-बनाम-

- प्रार्थी

1. अजन देवी पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
2. अनिता पुत्री कैलाश जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
3. कोशलया देवी पुत्री कैलाश जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
4. नरेश पुत्र उमराव जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
5. प्यारेलाल पत्नी उमराव जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
6. प्रतापराम पुत्र हणमान जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
7. मूलीदेवी पत्नी कैलाश जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
8. मोहन पुत्र हणमान जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
9. रुकमणी पत्नी उमराव जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
10. रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
11. रामबिलास पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
12. सुमन पुत्री कैलाश जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
13. सरला पुत्री उमराव जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
14. सोनकी पत्नी रामु जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू (राज.)।

- अप्रार्थीगण

जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. श्री अश्विनी कुमार महर्षि अधिवक्ता..... प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से।

- निर्णय -

दिनांक 31.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि-प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार खान ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक प.12(35)खान/ग्रुप-2/2005/ दिनांक 22.11.2007 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू में 46.151 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त मंशा पत्र (**Letter of Intent**) राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है उक्त मंशा पत्र (**Letter of Intent**) वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। मंशा पत्र के अनुसार प्रार्थी को ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से भूमि अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम खिरोड़ के खसरा संख्या 1455 रकबा 1.9800 हैक्टेयर किस्म बारानी 1-2 भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 14 तक का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात् 1.9800 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुषगी कार्य (**subsidiary purposes**) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पट्टा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नहीं कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं० धारा 89 राजस्थान भू -राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुषगी कार्य (**subsidiary purposes**) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्डुनू

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। क्षतिपूर्ति मुआवजा/मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच/मुआवजा क्षतिपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि-प्रार्थी कम्पनी एक सीमेन्ट उत्पाद निर्माण कम्पनी है। प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार खान ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक प.12(35) खान/ग्रुप-2/2005/ दिनांक 22.11.2007 के आदेश द्वारा के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में 46.151 वर्ग कि.मी. भूमि खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। मंशा पत्र (**Letter of Intent**) के अनुसार प्रार्थी को ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ में अवस्थित भूमि जिनके खिरोड़ के खसरा संख्या 1455 रकबा 1.9800 हैक्टेयर किस्म बारानी 1-2 भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 14 तक का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात् 1.9800 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है। जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुषगी कार्य (**subsidiary purposes**) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पट्टा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नहीं कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं० धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुषगी कार्य (**subsidiary purposes**) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 14 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।


विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि उक्त भूमि प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान सरकार खान ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक प.12(35) खान/ग्रुप-2/2005/ दिनांक 22.11.2007 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम बसावा व खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में 46.151 वर्ग कि.मी. भूमि हेतु स्वीकृत किया गया है। खनन पट्टा प्रार्थी कम्पनी को

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है, के लिए दिया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हरतगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी ईकाई की माईनिंग लीज क्षेत्र ग्राम खिरोड़ के खसरा संख्या 1455 रकबा 1.9800 हैक्टेयर किस्म वारानी 1-2 भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 14 तक का हिस्सा सम्पूर्ण अर्थात् 1.9800 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, जो लीज क्षेत्र में आयी हुई है। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,68,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर होती है, तथा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नवलगढ़ की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ पौधों की संख्या एवं कीमत अंकित की गई है। खनन एवं समनुषंगी कार्यों हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहना से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारो उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तारित ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राजस्व (गुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1 (3)राज-6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हैक्टेयर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। भूमि अवाप्ति के सम्बंध में नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 01 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची प्रथम में भूमिधारको को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके कम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना की किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है। एवं उक्त अनुसूची की कम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2 जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी


अति. जिला कलेक्टर
सुशान

पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, कम संख्या 4 में भूमि से जुड़ी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एवं कम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 16 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित राजस्व (युप-6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं1(3) राज-6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.16 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एकट की अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार पेड़पौधों व संपत्ति की कीमत को जोड़ा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु खनन पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसके खनन कार्य व सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेसराईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिए खातेदार अप्रार्थी को प्रतिकार राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में प्रतिकार का निर्धारण खातेदारान को निम्न सारणी के अनुसार गणना कर किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 14 तक खातेदारा का हिस्सा निम्नानुसार है:- अजन देवी पत्नी मांगीलाल हिस्सा 1/20, अनिता पुत्री कैलाश हिस्सा 1/80, कोशलया देवी पुत्री कैलाश हिस्सा 1/80, नरेश पुत्र उमराव हिस्सा 1/20, प्यारेलाल पुत्र उमराव हिस्सा 1/20, प्रतापराम पुत्र हणमान हिस्सा 1/5, मूलीदेवी पत्नी कैलाश हिस्सा 1/80, मोहन पुत्र हणमान हिस्सा 1/5, रुकमणी पत्नी उमराव हिस्सा 1/20, रामनिवास पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/20, रामबिलास पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/20, सुमन पुत्री कैलाश हिस्सा 1/80, सरला पुत्री उमराव हिस्सा 1/20, सोनकी पत्नी रामु हिस्सा 1/5 है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम जिसका विवरणजमाबंदी में अंकित है	खसरा नं.	रकबा जिसका प्रतिकार निर्धारण किया जाना	भूमि किस्म	डी.एल. सी.दर प्रति हैक्टेयर	राशि (कालम संख्या 3x5)	नगर पालिका से दूरी किमी मे व उसके अनुसार गुणक	कुल राशि (कॉलम संख्या 6 ग 8)रु.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	उपरोक्तानुसार	1455	1.9800 हैक्टेयर	बरानी 1-2	568000	1124640	16	1.50	1686960

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुं

B	योग	1	1.9800 हैक्टियर	1686000
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेडो की मालियत :-			630925
D	अन्य संरचना (धोरा एवं तारबन्दी पुराना कुआ वगैरा)			630925
E	योग (कॉलम संख्या B+C+D)			2948810
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)			2948810
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E+F)			5897620

अतः आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि के पूर्णांक राशि रुपये 58,97,620/- (अक्षरे अठावन लाख सतानवे हजार छः सौ बीस रुपये मात्र) अप्रार्थी के नाम से बैंक बनाकर तहसीलदार नवलगढ़ को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार नवलगढ़ उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त यदि भूमि बैंक के रहन है तो बैंक से बकाया ऋण जमा का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित खातेदार को हिस्से के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, अंकित की जावें। उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग के संबंधित खनन कार्य व समनुषंगी कार्यों (subsidiary purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार नवलगढ़/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

अति. (अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुन्झुनू(राज.)

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर
(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुन्झुनू(राज.)